



सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र)

फरवरी-मार्च, 2021 की कार्यसूची

(खंड-03)

दिनांक-03 मार्च, 2021

माँग संख्या - 21

आय-व्ययक शीर्षक - शिक्षा विभाग

43. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "शिक्षा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 380,35,92,80,000/- (तीन सौ अस्सी अरब पैंतीस करोड़ बानवे लाख अस्सी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 44-50. श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 31

आय-व्ययक शीर्षक - संसदीय कार्य विभाग

51. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "संसदीय कार्य विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 12,95,96,000/- (बारह करोड़ पंचानवे लाख छियानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 52-54. श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की संसदीय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या -43

आय-व्ययक शीर्षक - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

55. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 4,22,50,18,000/- (चार अरब बाईस करोड़ पचास लाख अट्ठारह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 56-58. श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/-रुपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 32

आय-व्ययक शीर्षक - विधान मंडल

59. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विधान मंडल" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,41,17,55,000/- (दो अरब इकतालीस करोड़ सत्रह लाख पचपन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 60-61. श्री राजेश कुमार एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की विधान मंडल नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

राज कुमार सिंह

सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- 1210

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2021 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भूदेव राय)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- 1210

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2021 ई०।

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(भूदेव राय)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- 1210


/ वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2021 ई०।

प्रति :- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।


2/3/21